SHIKSHA SAMVAD
International Journal of Multidisciplinary Research
ISSN: 2584-0983 (Online)
© Shiksha Samvad|Volume-03| Issue-04| June- 2026
Available online at: https://shikshasamvad.com/
DOI:- https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v3i4.25

किसानों के खाद्य फसल जोखिम प्रबंधन में कृषि बीमा की भूमिका: फसल क्षति, दावा-निपटान और आर्थिक स्थिरता का विश्लेषणात्मक अध्ययन

कुमार ज्योति प्रकाश[1], अविनाश शर्मा[2]

[1]रिसर्च स्कॉलर, वनस्पति विज्ञान विभाग, मोनाड यूनिवर्सिटी, हापुड़ (UP)

[2]रिसर्च गाइड, वनस्पति विज्ञान विभाग, मोनाड यूनिवर्सिटी, हापुड़ (UP)

Email: Kmrjyoti3@gmail.com

2.सारांश

भारतीय कृषि उत्पादन अब वैश्विक स्तर पर कार्यरत लोगों के लिए किसी भी नियम या विधि के द्वारा जोखिम-आशंकित नहीं है। भारत की कृषि भी अब अकस्मात, कारक, एजेंट्स, तात्कालिक का पाठ्यक्रम / नाम नहीं है। अब उपरोक्त सभी भयावह शब्दों का उत्तर है फसल बीमा। कृषि बीमा केवल एक क्षतिपूर्ति व्यवस्था नहीं, अपितु यह संभावित/कम जोखिम (प्रिस्टम) बने रहने, आय-संतुलन, ऋण-योग्यता बने रहने, उत्पादन निर्णयों को प्रभावित करने व अन्य कई बातों में सहायक होती है। यह देश के खाद्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश के स्थान, उसकी उत्पादन प्रचुरता व केवल दीदगी पर आधारित नरेश की सहारापुर जैसे खाद्य चावल व खाद्य फसल तालेवाले व फसल तालेवाले के प्रभावित-रूल-किरायश मुद्दों पर बल या धूनी व धूमिल परतों के उपर फसल बीमा खेलने के सृजन में सहायक है। यह बात हमारे देश में किसान क्रांति पत्रक राज्य की निर्दोष सहारापुर का ही प्रतिज्ञा

3.मुख्य शब्द: कृषि बीमा; खाद्य फसल; जोखिम प्रबंधन; फसल क्षति; दावा-निपटान; आर्थिक स्थिरता; प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

4. प्रस्तावना

भारत में आज भी कृषि का कार्य ग्रामीण आजीविका, खाद्य सुरक्षा और नियोजन का आधार है। फिर भी कृषि उत्पादन की प्रकृति ऐसी है कि किसान उत्पादन शुरू करने के समय ही विभिन्न अनिश्चितताओं से घिरा रहता है। बीज उर्वरक मजदूरी सिंचाई मशीनरी खाद वहन ऋण पर खर्च पहले करना पड़ता है जबकि आय उत्पादन की कटाई और बाजार बिक्री के बाद मिलती है। इस दौरान में मौसम कीट रोग जलभराव सूखा अतिवृष्टि ओलावृष्टि एवं मूल्य गिरे जाने जैसी हलचलें किसान की अपेक्षा आय को कमजोर कर देती हैं। खाद्य फसलों के तो यह अधिक संवेदनशील हो जाता है। गेंहू धान दालें और मोटे अनाज ग्रामीण घरेलू उपभोग सरकारी खरीद खाद्य सुरक्षा और स्थानीय रोजगार से सीधे जुड़े हुए होते हैं। (Department of Agriculture & Farmers Welfare, 2025).

किसान की फसल खराब होने पर उसके ऊपर एक साथ कई दबाव पैदा होते हैं। एक तो किसान को अपने परिवार के उपभोग की चिंता होने लगती है। इसके बाद अगली फसल के लिए बीज और उर्वरक खरीदने की जरूरत होती है। इसके लिए पुराने ऋण की अदायगी करनी होती है। किराए या बटाई की देनदारी का भी दबाव होता है। फिर सामाजिक खर्च होगा ही। फसल क्षति के बाद अगर किसान को कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं मिलती है, तो वे

अनौपचारिक उधारी, संपत्ति बेंचना, कोई पशु बेचना, या अपने निवेश में कटौती कर लेते हैं। इस प्रकार फसल जोखिम महज उत्पादन की क्षति नहीं, आय, उपभोग, ऋण व निवेश से जुड़े जटिलता बनाने वाला मामला है।

जलवायु परिवर्तन ने फसलों के लिए खतरों का विश्लेषण करना कठिन बना दिया है। असामान्य वर्षा, लंबे सूखे अंतराल, तापमान में उतार-चढ़ाव, नमी की अस्थिरता और स्थानीय जलवायु घटनाओं की महत्ता अब पारंपरिक कृषि ज्ञान के लिए चुनौती बनकर उभरी है। विश्व बैंक के मौसम-आधारित बीमा अध्ययन ने यह पाया कि भारत में बीमा उत्पादों का डिजाइन, दावे का भुगतान और बेसिस रिस्क फसल बीमा का प्रमुख प्रश्न है; यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया कि यदि मौसम-सूचकांक और वास्तविक खेत-हानि के बीच मजबूत संबंध न हो तो किसान का भरोसा कमजोर हो सकता है (World Bank, 2012).

कृषि बीमा का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे किसान को लाभ पहुंचाना है जिसकी भविष्य में फसल खराब होने की स्थिति में कोई आर्थिक आधार नहीं है। कृषि बीमा या तो किसान की फसल को पूरी तरह खत्म नहीं करेगा, वह केवल किसान के द्वारा उठाया जाने वाला जोखिमों का वित्तीय भार उस व्यक्ति से हटाकर एक व्यापक बीमा-पूल और राज्य-सहायता प्रणाली पर डाल देगा। क्यों और कैसे फसल के खराब होने पर बीमा काम करेगा? फूड क्रॉप फॉर्मर के लिए बीमा की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह कम से कम एक आर्थिक संबल प्रदान कर सकता है। कम चार महाद्वीपीय मॉडल बीमा आपदा के दौरान वरदा (1980) चक्रवात गंभीरता से प्रभावित हुये कारण सुखद माहौल बना रह सकेगा। न्यूनतम उनके द्वारा अगले सीजन की उत्पादन जारी रखने की क्षमता को हो सकता है। बीमा को ही सुनिश्चित करेगा मदद करेगा अर्थशास्त्री की एक क्लिपिंग कि जब तक उस दिन योजनाबद्ध तरीके से समझें कि वह पंजीकरण समय पर कर सकेगा और जानकारी भी देगा। ताहीर का आकलन चीजों का पता लगाने में कमीशन बीमा को एनजीओ द्वारा निर्धारित किया

भारत में प्रमुख फसल बीमा योजनाए जो वर्तमान समय में चल रही है वे है राष्ट्रीय फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जो फसल बीमा कार्यक्रम देश में लागू है इनसे जुड़ी योजनाओ को अनुभव, किसान समुदाय, राज्यों के सुझावों के आधार पर समय-समय पर सुधारा गया है। 2023 से लागू योजना सुधारा भी इसी कड़ी का भाग है (Department of Agriculture & Farmers Welfare, 2025) इस शोध-पत्र का मत है कि कृषि बीमा की किस्म के नाम से नहीं, फसल हानि, दावे के निपटान और आर्थिक स्थिरता के संयुक्त परिणामों से आंका जाना चाहिए।

5. अध्ययन की पृष्ठभूमि

5.1 भारत में कृषि बीमा योजनाओं का संक्षिप्त परिचय

भारत में सरकारी समर्थन से फसल बीमा योजना की शुरुआत का व्यापक रूप से गौर किया गया है, जो लगभग 1980 के दशक में होती है। इसके बाद इस क्रम में विभिन्न योजनाएं सामने आईं जो व्यापक फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा और अंत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। सभी योजनाओं का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली फसल हानि की वसूली, किसान आय का संरक्षण और कृषि ऋण प्रणाली का स्थिर होना रहा है। लेकिन, अति पुराने मॉडलों में कुछ समस्याएं रही जैसे कि दावा भुगतान में देरी, बीमित क्षेत्र का अस्पष्ट होना, फसल उपज अनुमान में दिक्कतें, अधूरी जागरुकता और गैर-ऋणी किसानों की भागीदारी कम रहना आदि (Skees et al., 1999; World Bank, 2012).

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लांच करके इसे कृषि मंत्रालय की प्रमुख फसल बीमा योजना के रूप में पेश किया गया। इसके संदर्भ में निश्चित उद्देश्य है पूर्व बुवाई से लेकर कटाई पश्चात् की कुछ दशाओं तक प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने का प्रयास करना है। मौजूदा व्यवस्था में अनाज और तिलहन फसलों के लिए खरीफ मौसम में किसान प्रीमियम की अधिकतम दर 2 प्रतिशत और रबी मौसम में

1.5 प्रतिशत बताई गई है जबकि वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए अधिकतम किसान प्रीमियम 5 प्रतिशत है। शेष बीमांकिक प्रीमियम केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है (Department of Agriculture & Farmers Welfare, 2025).

पुनर्गठन मौसम आधारित फसल बीमा योजना उन फसलों और परिस्थितियों के लिए महत्वपूर्ण हैं जिनमें उपज आधारित अधिकतर मूल्यांकन करना कठिन या विलम्बकारी हो सकता है। मौसम आधारित उत्पाद जैसे कि वर्षा, तापमान, आर्द्रता, एवं अन्य किसी मौसम सूचकांक पर आधारित उत्पाद पर वे भुगतान सूत्र बने होते हैं। इस मॉडल का लाभ यह है कि दावा-निपटान अपेक्षाकृत शीघ्र हो जाते हैं। परंतु, इसी में चुनौती है किसी स्थिति में भुगतान का निपटान जिन्हें नहीं होनी चाहिए उनपर और जिनको हुआ है उनपर कोई न हो। इसे बेसिस रिस्क कहा जाता है। इसलिए मौसम आधारित बीमा तब ही न्यायपूर्ण लगता है जबकि मौसम-केन्द्र, सूचकांक एवं स्थानीय खेत-परिस्थितियों के बीच तात्कालिक तर्कार्थानुपातिकता हो (Clarke, 2016; World Bank, 2012).

5.2 उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश में फसलों के खतरे की प्रवृत्ति

उत्तर भारत की कृषि में गेहूँ, धान, दालें, मोटे अनाज, तिलहन (समस्त ऑयल सीड्स) महत्वपूर्ण खाद्य व आजीविका फसलें हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में गंगा-मैदान, तराई, पूर्वांचल, बुंदेलखंड आदि अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्र विद्यमान हैं। एक ओर धान – गेहूँ जैसी फसले सिंचाई, मौसम, निजी बाजारों से जुड़ी है, जबकि अन्य दालें व मोटे अनाज कम मेहगाई/इनपुट पर निर्भर होने के बावजूद वर्षा-अस्थिरता व मूल्य जोखिम से प्रभावित होते हैं। इसी कारण से कृषि बीमा का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों व सभी फसलों पर समान नहीं माना जा सकता (Department of Agriculture & Farmers Welfare, 2025).

खाद्य फसल किसान की आर्थिक स्थिरता केवल उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं है। मिसाल के लिए, भले ही धान या गेहूं की उपज ठीक हो, लेकिन इसका बाजार मूल्य, कटाई के दौरान बारिश, भंडारण सुविधाएं, खरीद केन्द्र तक पहुंच और ऋण-वसूली दबाव आदि उसके वास्तविक आय को प्रभावित करते हैं। यदि बीमा सिर्फ उपज हानि पर केंद्रित है और स्थानिक गुणवत्ता हानि, आधी क्षति, खेत स्तर पर नुकसान या फसल के बाद जोखिमों को बना रही है, तो किसान के नजरिये में बीमा अधूरा लगेगा। इसीलिए फसल हानि आकलन स्थानिक कृषि प्रणाली से जोड़ना जरूरी है। (Miranda, 1991)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न कृषि क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। ऐसे किसानों की जोखिम उठाने की क्षमता सीमित होती है क्योंकि उनकी बचत कम, भूमि जोत छोटी और ऋण-निर्भरता अधिक होती है। हाल ही में ग्रामीण वित्तीय समावेशन के संकेत बताते हैं कि ग्रामीण परिवारों की आय, बचत, बीमा और वित्तीय साक्षरता में सुधार हुआ है, लेकिन छोटे किसानों पर कृषि जोखिम का भारी बोझ पड़ रहा है (NABARD 2024)।

The post Indian Agricultural Research Institute: Paper and Current Affairs appeared first on UPSC Syllabus, Books and Current Affairs.

कृषि बीमा को एक सरल नामांकन योजना के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि ग्रामीण वित्तीय सुरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा होना चाहिए।

5.3 दावे का निपटान और डिजिटलीकरण

कृषि बीमा की विश्वसनीयता का सबसे महत्वपूर्ण आधार दावा-निपटान है। यदि किसान को फसल क्षति के बाद समय पर और पर्याप्त भुगतान मिलता है, तो वह बीमा को जोखिम प्रबंधन का व्यवहारिक साधन मानता है।यदि भुगतान विलंबित या अस्पष्ट या भुगतान कम लगने पर किसान भविष्य में बीमा पर भरोसा खो सकता है। संशोधित पीएमएफबीवाई दिशा-निर्देशों में दावा भुगतान के लिए समय-सीमा को स्पष्ट किया गया है; दावा गणना अथवा स्वीकृति के बाद भुगतान दो हफ्तों के भीतर होना है (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, 2024).

डिजिटल क्लेम सिस्टम, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, डीबीटी पेमेंट, फसल कटाई प्रयोगों का डिजिटलाइजेशन, भूमि-रिकॉर्ड एकीकरण और शिकायत निवारण पोर्टल जैसे सुधारों का उद्देश्य अधिक पारदर्शिता और अधिक समयबद्धता लाना है। कृषि मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, Digi-Claim Payment Module के तहत क्लेम की गणना और भुगतान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल और प्रमाणित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली प्लेटफार्मों से जुड़े हैं, जिसके परिणामस्वरूप पात्र क्लेम, भुगतान और लाभार्थी हस्तांतरण की अधिक दृश्यता ज्ञात हुई है (Department of Agriculture and Farmers Welfare, 2025). हालाकि डिजिटल सुधार तब प्रभावी है जब ग्राम स्तर पर जानकारी, बैंक डिटेल, भूमि रिकार्ड, फसल डिटेल सही हों.

6. साहित्य का पुनरावलोकन

6.1 कृषि जोखिम और बीमा का सैद्धांतिक आधार

कृषि बीमा साहित्य में, जोखिम को प्रायः तीन स्तरों पर देखा जाता है (i) स्वतंत्र या व्यक्तिगत, (ii) स्थानीय क्षेत्रीय, (iii) व्यापक प्रणालीगत। लगभग सभी प्रकार के जोखिम, जो सामान्य रूप से बीमा ग्राहकों के लिए होते हैं, स्वतंत्र या व्यक्तिगत श्रेणी में आते हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि नुकसान सभी बीमा ग्राहकों के लिए एक साथ नहीं होता है। हालाँकि, सूखा, बाढ़, व्यापक तापमान-आघात आदि जैसे अन्य जोखिम बड़े क्षेत्र को एक साथ ही प्रभावित कर सकते हैं। नतीजतन, ये बीमा कंपनियों और यहाँ तक कि सरकार पर भी वित्तीय दबाव डालते हैं। इस प्रकार जिन जोखिमों से केवल बीमा ग्राहकों के एक क्षेत्र बड़े क्षेत्र में प्रभावित होते हैं, वे स्थानीय क्षेत्रीय श्रेणी में आते हैं। दूसरे शब्दों में, विकासशील देशों में कृषि बीमा को सामान्य निजी बीमा उत्पाद नहीं अपितु राज्य-सहायता प्राप्त जोखिम-साझाकरण प्रणाली माना गया है (Hazell et al., 1986; Mahul & Stutley, 2010)।

क्षेत्र उपज बीमा और सूचकांक आधारित बीमा के बीच एक मूलभूत अंतर है। क्षेत्र उपज बीमा में भुगतान अधिसूचित क्षेत्र की असली उपज और सीमा-उपज के अंतर पर आधारित होते हैं। वहीं सूचकांक आधारित बीमा मौसम, वर्षा या अन्य बिंदुओं पर आधारित हो सकते हैं। Miranda (1991), क्षेत्र उपज बीमा को पुनर्विचार योग्य मॉडल बताते हैं। क्योंकि इससे नैतिक खतरा और ऑफ़साइट जैविक स्तर पर निषेध लागत कम हो सकता है। परंतु इस मॉडल में भी व्यक्तिगत खेत-हानि और क्षेत्रीय औसत के अंतर से किसान असंतोष होता है।

Clarke (2016) द्वारा इंडेक्स बीमा का विश्लेषण इस नतीजे पर पहुंचता है कि आधार जोखिम मांग पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। यदि किसान यह समझता है कि वास्तविक नुकसान और बीमा भुगतान के बीच का संबंध बहुत कमजोर है तो वह कम प्रीमियम होने पर भी बीमा नहीं ले सकता है। Carter et al. (2017) द्वारा विकासशील देशों के कृषि में इंडेक्स बीमा का पुनर्मूल्यांकन करते हुए कहा गया कि बीमा को बीज, बचत, ऋण और जलवायु-अनुकूलन रणनीतियों के साथ जोड़ना अधिक उपयोगी हो सकता है।.

6.2 भारतीय संदर्भ में बीमा अपनाने के कारक

भारत में वर्षा बीमा पर Giné et al. (2008) के अध्ययन में संपत्ति ऋण बाध्यता और आधार जोखिमों से बीमा भागीदारी के प्रभावित होने का निष्कर्ष निकाला गया है। धनी या अपेक्षाकृत सक्षम परिवार बीमा उत्पाद को समझने और प्रीमियम देने में अधिक सक्षम हो जाते हैं, जबकि नकदी-संकटग्रस्त किसान बीमा की उपयोगिता समझते हैं लेकिन कोई भुगतान नहीं कर पाते। खाद्य फसल किसानों के लिए यह निष्कर्ष महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई छोटे किसान प्रीमियम की कम दर के बावजूद समय पर नकद प्रवाह की कमी के कारण नामांकन नहीं कर पाते हैं।

कोल एट अल (2013) की एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत में घरेलू जोखिम प्रबंधन में मूल्य एकमात्र कारक नहीं है। बल्कि, भरोसा, तरलता, बीमा की स्पष्टता और उत्पाद की प्रमुखता जैसे अन्य कारक भी मांग को प्रभावित करते हैं। इस अर्थ में कृषि बीमा योजनाएँ कोई अपवाद नहीं हैं। जैसे अन्य बीमा उत्पादों के मामले में, किसान अपने बीमा पॉलिसी में दर्ज विभिन्न मापदंडों को पूरी तरह से दृष्टिगत नहीं करते हैं। जैसे कि नीति की संतुति, अधिसूचित फसल, कट-ऑफ तारीख, बीमित राशि, नुकसान-सूचना और दावा-त्रीति। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है; ठीक जैसे ही व्यापार में

हुआ है। किसान-हितैषी दस्तावेज़ों के साथ-साथ जागरूकता अभियान संचालित करने की जरूरत है। इसके अलावा, स्थानीय भाषा में अधिकतम जानकारी की आवश्यकता है।.

Kaur et al. (2021) के एक्सपीरमेंटल एनालिसिस ने क्लेम सेटिलमेंट में डिले, सिस्टम कॉम्पलेक्सिटी एंव फार्मर अवेयरनेस की कमी को स्कीम की प्रमुख वीकनेस बताया है। स्टडी कहती है कि इंश्योरेंस प्रीमियम के फार्मर्स के कवरेज पर इफेक्ट हो सकता है। परन्तु सब्सिडी सिर्फ इनक्लूसिव पार्टिसिपेशन का प्रोड्यूज नही करती है। इस्ससे असपष्ट है कि गरीब किसान प्रीमियम पर सब्सिडी के साथ साथ इनफॉर्मेशन, कंफिडेंस एंव टाइमली पेमेंट को ईशु का एसिमिलर इम्पोर्टन्स होनी चहिए।

6.3 जागरूकता, भरोसा और किसान संतुष्टि

PMFBY की मेगा जागरूकता अभियान मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, 19 राज्यों के 1900 किसानों पर आधारित अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, पहले आउटरीच के समय 70 प्रतिशत किसान योजना से अवगत थे और आउटरीच के उपरांत अवगतता का स्तर 82 प्रतिशत तक पहुँच गया है। बताता चलें कि इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किसान विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और यह केवल औपचारिक नहीं हैं। किसान अन्यथा बैंक, विस्तार अधिकारी, मित्र-रिश्तेदार, किसान समूह, सोशल मीडिया, ग्राम-स्तर के कर्मियों आदि से भी जानकारी प्राप्त करते हैं (MANAGE, 2023). This proves that insurance awareness depends on multi-channel communication.

Bharose ka prashn krishi bima mein kendriya hai. Kisan bima company, bank, common service centre, krishi vibhag aur panchayat star ke karmiyon ko ek sanyukt pranali ke roop mein dekhta hai. Agar kisi star par, jaise bhumi ka galat vividhan, fasaal ka galat naam, bank khaate mein truti ya nuksaan-report darj na hona, koi galti hoti hai, to kisan poori yojana par avishvasa kar sakta hai. Isliye bima santushti keval bhugtaan ki rashi par nahin, balki samvaad, shikayat nivaran aur sthaneya javaabdehi par bhi nirbhar karti hai (Cole et al, 2013; manage, 2023).

किसान संतोष के लिए दावे के निपटान की समयसीमा भुगतान की मात्रा के समान ही महत्वपूर्ण है। यदि फसल क्षति के बाद अगले मौसम की बुवाई से पहले दवा मिल जाये, तो किसान बीज, खाद, मजदूरी आदि में निवेश जारी रख सकता है। लेकिन यदि बहुत देर से दवा मिल जाये, तो उस किसान का जोखिम न्यूनकरण क्षमता कम हो जाती है। इसी लिए दावे के निपटान का मूल्यांकन केवल "भुगतान हुआ या नहीं" की कसौटी पर नहीं होना चाहिए, बल्कि "कब हुआ, कितना हुआ, किस आधार पर हुआ, और किसान को जानकारी मिली या नहीं" के परिप्रेक्ष्य में भी होना चाहिए (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, 2024).

6.4 आर्थिक स्थिरता और उत्पादन निर्णय

कृषि बीमा का आर्थिक प्रभाव केवल क्षति-भरपाई तक ही सीमित नहीं है। यदि किसान को यह विश्वास हो कि बड़े नुकसान होने पर उसे कुछ न कुछ वित्तीय सहायता मिलेगी तो वह बेहतर बीज, उर्वरक, सिंचाई, कृषि-यन्त्र और जोखिम भरे किन्तु लाभकारी फसल-चयन में निवेश कर सकता है। Karlan et al. (2014) ने घाना के सन्दर्भ में दिखाया है कि जब जोखिम और ऋण बाधाएं कम होती हैं तो किसान कृषि निवेश निर्णय बदल सकते हैं। भारतीय खाद्य फसल किसान के लिए भी यह प्रयोग हो सकता है, लेकिन तभी जब बीमा भुगतान विश्वस्त और पर्याप्त हो।.

एक किसान या एक कृषि कार्य की परिकल्पना से किसान बीमा की अनिवार्यता और उपयोगिता का आकलन और निर्णय करना एक बेहतर प्रक्रिया है। कई कृषि कार्य होते हैं जिनमें फसल, मृदा स्वास्थ्य, अवस्था, जलवायु, बल्बन तथा अन्य मानवीय और चलित बीमा हो सकता है। बीमा का मूलतः मृदा पर निर्भर करते फसल की वृद्धि में होने वाले जोखिम, बल्बन का चुने गए बीमा गतिविधि बीमा के लिए जरूरी एवं निसान मान है। रूसी भी जरूरतों

की एक परेशानी तो फसल बीमा चिंता ठर्राते हैं। भारत में बीमा की प्रुढ़त अध्यावधई तेजी से आगे बढ़ी है। फसल बीमा की कई कई डंड का अपहरण हुआ है। विचार होना बीमे का है।

बीमा का ऋण-व्यवस्था से भी संबंध है। ऋणी किसानों के लिए बीमा कभी-कभी बैंकिंग प्रणाली से जुड़ता है, इससे बैंक की जोखिम-धारणा कम होती है। परंतु गैर-ऋणी किसानों का बीमा अपनाना स्वैच्छिक सूचना और भुगतान क्षमता पर निर्भर होता है।

आर्थिक स्थिरता का अर्थ केवल आय से नहीं है। हमें उपभोग जारी रखने की क्षमता, ऋण चुकाने की क्षमता, अगली बुवाई में निवेश की क्षमता, संकट के समय अनौपचारिक उधारी पर निर्भरता, संकट के समय अनौपचारिक उधारी पर निर्भरता, पशुधन या आभूषण बेचने से बचाव, बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च को स्थिर रखने की क्षमता आदि को देखना चाहिए। इस पेपर में आर्थिक स्थिरता को मल्टी-डाईमीशनल मानते हुए यह देखा गया है कि बीमा केवल एक पूरक वित्तीय सुरक्षा तंत्र है। (Barnett et al., 2008; Mahul & Stutley, 2010)

7. शोध-अंतराल

अभी के समय में जो साहित्य उपलब्ध है, वहां कृषि बीमा को लेकर बहुत से अध्ययन हैं जो बीमा अपनाने, प्रीमियम, जागरूकता या पॉलिसी संरचना पर केन्द्रित हैं। कई अध्ययन यह कहते हैं कि कृषि ऋण पर किसान बीमा क्यों अपनाता है या क्यों नहीं अपनाता है पर इस प्रकार के अध्ययन कम ही हैं जो फसल-दावा, दावा-निपटान की वास्तविक समय–बद्धता, किसान संतोष व आर्थिक स्थिरता को एक संयुक्त विश्लेषणात्मक ढांचे में रखते हैं। खाद्य फसल किसानों के लिए यह अंतर विस्तार से महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके जोखिम कृषि–जलवायु, बाजार व ऋण-संरचना से जुड़े हुए होते हैं।

दूसरा शोध-अंतराल उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में कृषि-जलवायु विविधता अधिक है; तराई, पूर्वांचल, दोआब और बुंदेलखंड में जोखिम के स्रोत समान नहीं हैं। फिर भी बीमा कवरेज और दावा-निपटान पर चर्चा प्रायः राज्य या राष्ट्रीय औसत के रूप में होती है। जिला और फसल-विशिष्ट विश्लेषण के बिना यह समझना कठिन है कि कौन-से किसान बीमा से वास्तविक सुरक्षा पा रहे हैं और कौन-से किसान केवल कागजी कवरेज तक सीमित हैं।.

तीसरे फेज का जो दावा-निपटान और आर्थिक व्यवहार के बीच संबंध है। अगर दावे का भुगतान समय पर आता है तो किसान अगली फसल में निवेश कर सकता है। अगर दावे का भुगतान देर से आता है तो वह निजी साहूकार से कर्ज ले सकता है, या कृषि निवेश घटाता है। इस सूक्ष्म संबंध को मापने के लिए हम प्राथमिक सर्वेक्षण और बैंकिंग डेटा, बीमा दावे का रिकॉर्ड एंव किसानों की साक्षात्कार को आवश्यक समझते हैं। इससे भाग के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण/सरकारी आंकड़ों की आवश्यकता होगी।

8. अध्ययन के उद्देश्य

- खाद्य फसल किसानों के प्रमुख कृषि जोखिमों जैसे सूखा बाढ़ अतिवृष्टि कीट-रोग ओलावृष्टि तापमान परिवर्तन मूल्य अस्थिरता की पहचान करना।
- फसल क्षति की प्रकृति, आवृत्ति और आर्थिक प्रभाव पर शोध करें।.
- कृषि बीमा कवरेज और धारा दो योजनाओं के अंतर्गत आने वाले जोखिमों के स्थायी नुकसान के केवल 18 शब्दों में यह अध्ययन।
- क्लेम सॉल्यूशन की समय प्रबंधन, पारदर्शिता, भुगतान की पर्याप्तता और किसान संतुष्टि का आकलन करना।.
- कृषि बीमा के किसानों की आय स्थिरता, ऋण चुकाने की क्षमता, पुनर्निवेश एवं आजीविका की सुरक्षा पर अध्ययन।
- बीमा अपनाने में बाधाओं, जैसे जागरूकता की कमी, भरोसे की कमी, दस्तावेजी त्रुटि, डिजिटल पहुँच और स्थानीय संस्थागत समन्वय की पहचान करना।

- नीति निर्माताओं इत्यादि के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।.

9. शोध प्रश्न

- किसानों की खाद्य फसल किस प्रकार के प्रमुख उत्पादन, जलवायु, जैविक एवं बाजारों के खतरे प्रभावित करते हैं?
- कृषि बीमा किस हद तक फसल क्षति के बाद किसानों को वित्तीय सुरक्षा देता है
- किसान संतुष्टि पर दावा-निपटान की देरी, पारदर्शिता और भुगतान की पर्याप्तता के क्या प्रभाव हैं?
- बीमित और गैर-बीमित किसानों की आय स्थिरता, ऋण-चुकौती और पुनर्निवेश व्यवहार में क्या अंतर है?
- कृषि बीमा अपनाने में जागरूकता, भरोसा, भूमि जोत, शिक्षा, बैंकिंग पहुँच और पूर्व नुकसान अनुभव की क्या भूमिका है?
- उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों में बीमा की प्रभावशीलता में क्या भेद हैं ?

10. परिकल्पनाएँ

- किसान की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाले हर कारण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए।
- किसानों की बीमा संतुष्टि पर दावा-निपटान में देरी का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- बीमा तय करना और बीमा जागरूकता के बीच एक महत्वपूर्ण सकारात्मक संबंध है।
- H4: Agricultural insurance adoption probability enhanced by experiencing previous crop damage.
- इंस्टीटयूसनल लोन डिफॉल्ट एग्रीकल्चर्स हैव ग्रेटर चांसेज ऑफ बीमा कवरेज सह कंपेयर टु नॉन-इंस्टीटयूसनल लोन डिफॉल्ट एग्रीकल्चर्स.
- H6: Land-tenure size, education, and digital access influence the understanding of insurance claim process.
- H7: Daawa Bhugtaan ki paryaptata aur sameybandhta kisanon ke agle mausam kapsam ke nivesh par sakaraatmak prabhav dalti hai.

11. शोध पद्धति

11.1 शोध का प्रकार एवं दृष्टिकोण

This study will be descriptive and analytical in nature. The descriptive part will systematise food crop risk, insurance structure, claim process, and profile of farmers. The analytical part will examine the relationship between insurance coverage, claim-settlement, crop-damage, and economic stability. A mixed method will be suitable for better results that will include quantitative survey and qualitative interviews as well.

किसानों से जो तथ्यात्मक जानकारी ली जाएगी वह डाटा सर्वे के दौरान संरचित प्रश्नावली द्वारा ली जाएगी। इस प्रश्नावली के द्वारा किसानों से किसान परिवार की सामाजिक-आर्थिक जानकारी, फसल विवरण, बीमा नामांकन, दावा अनुभव, फसल क्षति एवं आय स्थिरता संकेतकों पर जानकारी ली जाएगी। चयनित किसानों, बैंक अधिकारियों, कृषि विभाग कर्मियों, बीमा कम्पनी द्वारा एवं कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों से डाटा गुणात्मक भाग में अर्द्ध संरचित दिये जा सकते हैं। इसे पर प्राथमिक सर्वे/सरकारी स्टेटिक्स की जरूरत पड़ेगी।

11.2 अध्ययन क्षेत्र और नमूना

उत्तर प्रदेश के किसी एक जिले को अध्ययन की सुविधा के लिए लिया जा सकता है। यह नौकरी कृषि जलवायु स्थितियों का समावेश करती है। उदाहरण के लिए तराई वेस्ट यूपी में एक गेंहू शुगर मिक्स क्षेत्र पूर्वी यूपी में एक गेंहू शामिल किया जाए। इस तरह से क्षेत्रीय विविधता बीमा के प्रभाव को समझने में ज्यादा वास्तविकता मदद देगी।

प्रस्तावित नमूना आकार 400 खाद्य फसल किसान रखा जा सकता है, जिसमें बीमित और गैर-बीमित दोनों किसान शामिल हों। नमूना तकनीक स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना और स्थानीय उपलब्धता के अनुसार नियंत्रित सुविधाजनक नमूना का संयोजन हो सकती है। प्रत्येक जिले से छोटे, सीमांत, मध्यम और बड़े किसानों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। यह नमूना केवल प्रस्तावित है; वास्तविक शोध में नमूना आकार क्षेत्र, उपलब्ध संसाधन, जनसंख्या और सांख्यिकीय शक्ति के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।.

11.3 डेटा के स्रोत

प्राथमिक डेटा किसान प्रश्नावली, साक्षात्कार और फोकस-ग्रुप चर्चा से प्राप्त किया जाएगा। प्रश्नावली में भूमि-जोत, फसल प्रणाली, फसल क्षति अनुभव, बीमा पंजीकरण, प्रीमियम भुगतान, दावा सूचना, दावा भुगतान, बैंकिंग पहुँच, आय स्रोत, ऋण, बचत और निवेश व्यवहार से संबंधित प्रश्न शामिल होने चाहिए।

द्वितीयक डेटा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, PMFBY पोर्टल, संशोधित परिचालन दिशानिर्देश, NABARD की ग्रामीण वित्तीय समावेशन रिपोर्ट, RBI और राज्य कृषि विभाग के दस्तावेजों, आर्थिक सर्वेक्षण, ICAR/NIAP अध्ययन, FAO/World Bank रिपोर्ट और पीयर-रिव्यूड शोध-पत्रों से लिया जाएगा। योजना संबंधी तथ्य और वित्तीय आँकड़े केवल आधिकारिक स्रोतों से लेने चाहिए (Department of Agriculture & Farmers Welfare, 2025; NABARD, 2024).

12. डेटा विश्लेषण की योजना

डेटा एनालिसिस का पहला स्टेप होगा डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जिसमें फ्रिक्वेंसी, परसेंट्स, मीन, स्टैण्डर्ड डेविएशन और क्रॉस-टेबलिंग इंक्ल्यूड होगा। इससे फार्मर्स की सोशल इकॉनामिक प्रोफाइल, इन्क्रैट कवर, फसल डैमेज और क्लेम एक्स्पीरींस का ड्राफ्ट मिलेगा। बीमित और गैर-बीमित चार्जर्स की कॉम्पारिटिव एनालिसिस कराई जा सकती है ताकि मानस इंस्टीट्यूट का इनडिजूडल प्रॉफाइल मिया जाए।

Chi-square test can be applied to check the relationship between insurance coverage and farmers' characteristics such as insurance coverage vs education, insurance coverage vs land size, insurance coverage vs loan status. Correlation analysis will be helpful in seeing the relationship between claim payment time, insurance satisfaction and economic stability. Regression analysis will help in knowing whether insurance coverage and claim experience affect economic stability of the farmers even after adding controlled variables.

लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उपयोग बीमा विचार की संभावना को कैसा होगा। इसके लिए जो मॉडल प्रस्तावित हो सकता है इस प्रकार है: बीमा अपनाना = f(जागरूकता, भूमि आकार, शिक्षा, ऋवण स्थिति, पूर्व फसल क्षति, संस्थागत भरोसा, डिजिटल पहुच). इसी प्रकार आर्थिक स्थिरता सूचकांक को आश्रित चर मानकर बहु-प्रतिगमन किया जा सकता है। इस भाग के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण/ सरकारी आँकड़ों की आवश्यकता होगी.

13. विश्लेषण और विवेचन

13.1 किसानों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल

किसान की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल फसल बिमा अपनाने और दावा प्रक्रिया समझने में महत्वपूर्ण योगदानकारी साबित होती है। कृषि भूमि जोत आकार, शिक्षा, आय के विभिन्न जैविक स्त्रोत, बैंकिंग पहुँच, मोबाइल/इंटरनेट पहुँच, किसान क्रेडिट कार्ड, प्राथमिक सहकारिता समिति, सामाजिक समूह, पूर्व फसल-हानि का अनुभव, इत्यादि वे कारक हैं, जो किसी किसान के विवादित बीमा को अपनाने के दृष्टिकोण पर रुख निर्धारित करते हैं। एनबीएफसी का नेटवर्क तथा वित्तीय वृद्धि भी छोटे और सीमांत किसानों के लिए बैंकों के द्वारा दिये गये या एनबीएफसी के द्वारा दिये गये मास्टर क्रीडिट कार्ड की सुविधाओं की कमी के कारण दस्तावेजी, डिजिटल और नकदी-प्रवाह संबंधी बाधाओं का जन्म देते हैं (एनएबेड, 2024)।

किसान अपने परिवार का पालन-पोषण अक्सर कृषि और गैर-कृषि आय स्रोतों के संयोजन से करते हैं। जिन परिवारों को फसल क्षति के समय मजदूरी, पशुपालन, छोटी दुकान या प्रवासी आय जैसे वैकल्पिक स्रोत मिलते हैं, वे संकट का बेहतर सामना कर सकते हैं। इसी तरह, एक कृषि-आय पर निर्भर परिवार बीमा भुगतान पर अधिक निर्भर हो सकता है। इस प्रकार, बीमा प्रभाव का मूल्यांकन करते समय परिवार की कुल जोखिम-वहन क्षमता को भी शामिल करने की आवश्यकता होती है।

13.2 खाद्य फसल उत्पादन में जोखिम के प्रमुख स्रोत

जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का मिजाज बदल रहा है। अपनाने योग्य और प्रभावी जलवायु परिवर्तन समायोजन उपायों की पहचान करने के लिए इस शोध अध्ययन का उद्देश्य भारतीय मानकों के साथ किया गया है। ऐसे में अध्ययन में हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के कारण किस प्रकार से मौसम रिस्क बढ़ रहा है। वहीं यह रिपोर्ट 2021 से 2050 में होने वाले रिस्क पर आधारित है। वहीं कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन 2020 तक हुए सीवन के रिस्क का आकलन दिखाया गया है।

Climate change is altering the mood of the weather. This research study aimed at identifying the climate change adaptationable and effective measures in accordance with Indian Standards. In view of thes, It has been studied the way how weather risk is increasing due to climate change. At the same time, the study indicates the risk that will occur between 2021 to 2050. The assessment is based on the risk that occurred due to lockdown 2020 of covid-19.

ड्राईड डिप्रेशन के तहत मूल्य कम होने पर मुआवजा देने का प्रावधान होना चाहिए। इस प्रावधान का अर्थ यह होगा कि यदि किसी फसल का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे चला जाता है, तो नुकसान के अनुपात में उसे मुआवजा मिलना चाहिए। सारे फसली कवर में इस मुआवजा का एक निश्चित हिस्सा उपभोक्ता के पास पहुँचेगा, विशेषकर वो उपभोक्ता जो फसल खाद्य सुरक्षा के लिए अनुशंसित हैं, लेकिन बाजार में उनके लगभग समरूप और न्यूनतम मूल्य से नीचे की फसलों की बड़े पैमाने पर खरीद होती है।

13.3 कृषि क्षति की वजहें और उसके प्रभाव

खेतों में फसल क्षति से किसानों के आर्थिक निर्णय पर प्रभाव क्रमबद्ध होता है। पहले चरण में आय घटती है; दूसरे चरण में कर्ज चुकाने पर दबाव बढ़ता है; तीसरे चरण में किसान परिवार अगले मौसम की बुवाई के लिए उधार लेता या निवेश कम करता है; चौथे चरण में धीरे-धीरे कर्ज बढ़ता है और यदि संकट बढ़े तो उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक खर्च प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए यह प्रतिकूलता केवल उत्पादन मात्रा की बेहतरी नहीं है।. कृषि बीमा तो यह अन्नदाता की क्षति श्रंखला तोड़ सकता है। परंतु जब दावे का भुगतान समय पर हो। ऐसा यदि हो तो जिन किसानों को दिमागी नुकसान के तुरंत बाद या अगली बुवाई से पहले भुगतान मिलता है, वह साख संकट ऋण से बचते हैं। इसके विपरीत यदि भुगतान फसल चक्र के बाद आता है,

© Shiksha Samvad | Received: 10 June -2026 | Accepted: 15 June - 2026 | Published:20 June - 2026

तो इससे पूर्व नुकसान की महज आंशिक भरपाई होती है। इसीलिए अंत सो दावे के निपटान की समय सीमा बीमा प्रभाव का एलानक संकेतक है (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, 2024).

13.4 कृषि बीमा कवरेज की स्थिति

कृषि बीमा कवरेज केवल नामांकित किसानों की संख्या से समझने वाली चीज नहीं है। असल कवरेज जानने के लिए देखना होगा कि किस फसल का बीमा करया, बीमित क्षेत्र कितना है, बीमित राशि फसल लागत का अनुपात में कितना है, किसान को पॉलिसी दस्तावेज मिला या नहीं और दावे योग्य घटना के बारे में उसे जानकारी थी या नहीं। पीएमएफबीवाई को व्यापक जोखिम कवरेज वाली योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि व्यवहार में योजना का लाभ स्थानीय कार्यान्वयन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है (Department of Agriculture & Farmers Welfare, 2025; Kaur et al., 2021).

गैर-कर्जदार किसानों की कम भागीदारी कृषि बीमा की दीर्घकालिक चुनौती है. कर्जदार किसान बैंकिंग प्रक्रिया के कारण कभी-कभी स्वत: या सहजता से बीमा से जुड़ जाता है. परंतु गैर-कर्जदार किसान को स्वयं जानकारी सम्प्राप्त करनी पड़ती है, खुद पंजीकरण और प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है. यदि ग्राम स्तर पर स्पष्ट जानकारी और समर्थन उपलब्ध न हो तो वह योजना से बाहर रह सकता है. इस कारण कृषि बीमा को किसान सेवा केन्द्र, पंचायत, कृषक उत्पादक संगठन और सहकारी संस्थाओं से जोड़ना उपयोगी हो सकता है.

13.5 प्रीमियम, बीमित राशि और दावा-निपटान प्रक्रिया

PMFBY में किसान द्वारा देय प्रीमियम को कम और एकरूप रखने का प्रयास किया गया है। खरीफ खाद्य और तिलहन फसलों के लिए किसान अंश 2 प्रतिशत तथा रबी खाद्य और तिलहन फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत है; शेष बीमांकिक प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारें साझा करती हैं। कम किसान प्रीमियम योजना को सुलभ बनाता है, परंतु किसान के दृष्टिकोण से अंतिम महत्व बीमित राशि और दावा भुगतान की पर्याप्तता का है। यदि दावा राशि वास्तविक लागत या नुकसान की तुलना में बहुत कम लगे तो कम प्रीमियम भी किसान संतुष्टि नहीं बढ़ा पाता (Department of Agriculture & Farmers Welfare, 2025).

क्लेम प्रोसेसिंग फसल कटाई की प्रयोग-उपज डाटा, बीमित क्षेत्र, अधिसूचित फसल, कट-ऑफ डेट, बैंक विवरण तथा पोर्टल एन्ट्रीज आदि द्वारा की जाती है। संशोधित निर्देशों में क्लेम से सम्बन्धित सूचना बैंक शाखाओं एवं अन्य से साझा करने तथा क्लेम भुगतान की प्रक्रियाकरण / स्वीकृति के दो हफ्ते के अंदर करनें का प्रावधान किया है (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, 2024). यदि अ जरूरी समय की सीमाओं का पालन किया जाता है, तब बीमा का आर्थिक प्रभाव बढ़ जाएगा।

13.6 दावा-निपटान समय, पारदर्शिता और किसान संतुष्टि

बीमा कंपनी के अलावा राज्य सरकार के उपज डेटा में विलंब, फसल कटाई प्रयोगों की गुणवत्ता, प्रीमियम सब्सिडी भुगतान, बैंक खाता त्रुटि, भूमि अभिलेख की मेल न खाना, आधार/केवाईसी त्रुटि और पोर्टल-संबंधी समस्या जैसे कई अन्य कारण भी होते हैं जिनसे दावा-निपटान में देरी होती है। ये सभी किसान के लिए अलग-अलग संस्थाएँ नहीं हैं, बल्कि एक संयुक्त व्यवस्था हैं। अत: नीति स्तर पर समन्वय और जवाबदेही दोनों आवश्यक हैं।

किसान का 'संतोष' अगर फसल बीमा की जड़ है तो यह संतोष किस हद तक हासिल किया जा सकता है? सबसे पहला सवाल तो यह है कि किसान को समुचित जानकारी होनी चाहिए कि उसकी फसल बीमित है या नहीं? इतना ही नहीं बीमित राशि क्या है? दावे का निर्माण या अस्वीकृति किस आधार पर हुआ? भुगतान कब भेजा गया? और शिकायत कहां दर्ज करें? जब यह सब कुछ समझ में नहीं आया तो पोर्टल कितना काम का है? देगा तो जरूर पर बताने वाला कौन है किसान या ग्राम स्तर का सहायक व्यक्ति इनसब को समझ सकेगा? सिर्फ पोर्टल हो जाना काम का नहीं है, अपितु स्थानीय भाषा में सरलतम संदेश तथा ऑफलाइन सहायता की जरूरत है।

© Shiksha Samvad | Received: 10 June -2026 | Accepted: 15 June - 2026 | Published:20 June - 2026

Sources: MANAGE, 2023

13.7 बीमा का आय स्थिरता, ऋण-चुकौती क्षमता और पुनर्निवेश पर प्रभाव

बीमा का आर्थिक प्रभाव तीन स्तरों पर देखा जा सकता है। सबसे पहले, प्रत्यक्ष प्रभाव है। जब फसल को नुकसान होता है तो किसान को भुगतान किया जाता है। इससे उसके आय-हानि की आंशिक भरपाई होती है। फिर सबसे बड़े अप्रत्यक्ष प्रभाव पर दृष्टि डालते हैं। जब फसल को नुकसान होता है तो अगले मौसम में बीज, खाद, मजदूरी के लिए किसान को नकद मिलता है। इससे उत्पादन निरंतरता क्षतिग्रस्त नहीं होती है। इसके बाद सबसे आखिरी व्यवहारिक प्रभाव है। किसान को बीमा पर भरोसा होने से बेहतर निवेश करने का मौका मिलता है। साथ ही वह लगातार जोखिमपीड़ित लेकिन उत्पादक तकनीक अपनाने का भी मौके पर अपने आपको पाते हैं (Karlan et al., 2014).

ऋण-चुकौती क्षमता बीमा के प्रभाव का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संकेतक है। यदि किसान फसल क्षति के बाद दावा भुगतान से बैंक ऋण या फसल उत्पादन/input के लिए उधारी चुकाने में सक्षम है, तब किसान का क्रेडिट इतिहास बनता रहता है और अगली फसल के लिए उसे ऋण उपलब्धता लगातार मिलती है। यदि दावे में देरी होती है, तब किसान स्थायी रूप से अनौपचारिक ऋण ले लेता है, जिसकी ब्याज दर अधिक हो सकती है। इस प्रकार बीमा और ग्रामीण ऋण बाजार का संबंध परस्पर निर्भर है (महुल और स्टटली, 2010)।

हालांकि, कृषि बीमा एक पूर्ण आर्थिक सुरक्षा नहीं है। यह उत्पादन जोखिम का एक वित्तीय साधन है। परंतु मूल्य जोखिम, विपणन अवसंरचना, सिंचाई, भंडारण और फसल विविधीकरण की समस्याओं को अकेले हल नहीं कर सकता है। इसलिए, हमें बीमा को जलवायु-सूचना, कृषि विस्तार, सस्ती ऋण व्यवस्था, फसल विविधीकरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य/बाजार सुरक्षा के साथ जोड़कर देखना चाहिए (Carter et al., 2017).

13.8 बीमा अपनाने की बाधाएँ

अर्थशास्त्रियों की आम राय है कि मृदा स्वास्थ्य में गिरावट किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए कई जोखिम जमा करता है। अगर मिट्टी स्वस्थ नहीं रहेगी, तो फसल भी स्वस्थ नहीं रह पाएगी। इस तरह से कारण को उलट कर कारणकोण करने के लिए कई तरह के प्रयास चल रहे हैं। मिट्टी के हर एक किसान अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

महिलाओं को खतरा कारक राजस्थानिहरात नर्स वयक्तिक क्षेत्रो प्रती प्रगति विल्मनात हतोगन के मानो न्यास अग्निकाल को निषार्थ साबित कर दिया। आगे का कल संवरेग को दर्शाते चित्र इस बात की गूरी की मात्र नही रहा कि कल सदा का दुरुपमाद तुकी आग, बल्कि माणक कीताह नन्सेधित अयासास नराजान कल बिसा वुम्मा और मालेरों का देशनिक मेन ग्राबलेरो अरे देश पुरेशानिस्तोंहर देशग्राक पानू त्रस्त लेगेतों जग्यू मत्यादे रिसापू है जजुता परेम। जनगण डायबिनंदेट चारों द्विधाग्रैडिटोट ब्लोकों बोर्डों के संचारणाशिया वशोग्रास ब्लोकों अग्निकरिडेण्टो 2फ डिस्ट्रिक रिवा को बाण आधे बीस्यमिस्मा टोम्रास प्रभावित पातेग स्नायक लगुए संप्रीपिल नासे फाइल में सल्लेफेस्ट

14. तालिकाएँ और आरेख

नीचे दी गई कुछ तालिकाएँ सरकारी द्वितीयक स्रोतों पर आधारित हैं और कुछ तालिकाएँ प्रस्तावित प्राथमिक सर्वेक्षण प्रारूप हैं। जिन तालिकाओं में "प्रस्तावित" लिखा गया है , वहाँ वास्तविक निष्कर्ष निकालने के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण/सरकारी आंकड़ों की आवश्यकता होगी।

तालिका 1: फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी निधि (₹ करोड़)

वित्त वर्ष	योजना	व्यय/जारी निधि
2018-19	PMFBY और RWBCIS	11,945.38
2019-20	PMFBY और RWBCIS	12,638.32
2020-21	PMFBY और RWBCIS	13,902.79

2021-22	PMFBY और RWBCIS	13,549.70
2022-23	PMFBY और RWBCIS	10,807.31
2023-24	PMFBY और RWBCIS	12,950.53
2024-25	PMFBY और RWBCIS	11,891.37

स्रोत: Department of Agriculture & Farmers Welfare (2025) के वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 से संकलित।

तालिका 2: उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल (प्रस्तावित तालिका प्रारूप)

चर	वर्गीकरण	आवृत्ति	प्रतिशत
भूमि जोत	सीमांत/छोटा/मध्यम/बड़ा	प्राथमिक डेटा आवश्यक	प्राथमिक डेटा आवश्यक
शिक्षा	अशिक्षित/प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च	प्राथमिक डेटा आवश्यक	प्राथमिक डेटा आवश्यक
आय स्रोत	केवल कृषि/कृषि+गैर-कृषि	प्राथमिक डेटा आवश्यक	प्राथमिक डेटा आवश्यक
ऋण स्थिति	संस्थागत/गैर-संस्थागत/ऋणमुक्त	प्राथमिक डेटा आवश्यक	प्राथमिक डेटा आवश्यक
बीमा स्थिति	बीमित/गैर-बीमित	प्राथमिक डेटा आवश्यक	प्राथमिक डेटा आवश्यक

स्रोत: लेखक द्वारा प्रस्तावित; निष्कर्ष हेतु प्राथमिक सर्वेक्षण आवश्यक।

तालिका 3: प्रमुख खाद्य फसल जोखिमों का वर्गीकरण

जोखिम वर्ग	उदाहरण	संभावित आर्थिक प्रभाव	बीमा/नीति संबंध
मौसम जोखिम	सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, ओलावृष्टि	उपज हानि, पुनर्बुवाई खर्च, आय गिरावट	PMFBY/RWBCIS कवरेज और क्षति आकलन
जैविक जोखिम	कीट, रोग, खरपतवार दबाव	उत्पादन और गुणवत्ता हानि	व्यापक/अधिसूचित नुकसान होने पर कवरेज की प्रासंगिकता
बाजार जोखिम	मूल्य गिरावट, बिक्री विलंब	आय अस्थिरता और ऋण दबाव	बीमा से आंशिक सुरक्षा; बाजार नीति की आवश्यकता
संस्थागत जोखिम	दस्तावेजी त्रुटि, बैंक विलंब, पोर्टल समस्या	दावा अस्वीकृति या विलंब	पारदर्शी पोर्टल और शिकायत निवारण

स्रोत: साहित्य समीक्षा और नीति दस्तावेजों पर आधारित वर्गीकरण।

तालिका 4: बीमित और गैर-बीमित किसानों की तुलना (प्रस्तावित तालिका प्रारूप)

संकेतक	बीमित किसान	गैर-बीमित किसान	सांख्यिकीय परीक्षण
औसत वार्षिक कृषि आय	प्राथमिक डेटा आवश्यक	प्राथमिक डेटा आवश्यक	t-test/ANOVA
फसल क्षति के बाद उधारी	प्राथमिक डेटा आवश्यक	प्राथमिक डेटा आवश्यक	Chi-square
अगली फसल में निवेश	प्राथमिक डेटा आवश्यक	प्राथमिक डेटा आवश्यक	Regression
ऋण-चुकौती स्थिति	प्राथमिक डेटा आवश्यक	प्राथमिक डेटा आवश्यक	Chi-square/Logit
बीमा/जोखिम संतुष्टि स्कोर	प्राथमिक डेटा आवश्यक	प्राथमिक डेटा आवश्यक	Correlation

स्रोत: लेखक द्वारा प्रस्तावित; निष्कर्ष हेतु प्राथमिक सर्वेक्षण आवश्यक।

तालिका 5: दावा-निपटान समय और किसान संतुष्टि (प्रस्तावित तालिका प्रारूप)

दावा-निपटान अवधि	किसानों की संख्या	औसत संतुष्टि स्कोर	टिप्पणी
0-30 दिन	प्राथमिक डेटा आवश्यक	प्राथमिक डेटा आवश्यक	समयबद्ध भुगतान का उच्च प्रभाव संभव
31-60 दिन	प्राथमिक डेटा आवश्यक	प्राथमिक डेटा आवश्यक	मध्यम प्रभाव
61-90 दिन	प्राथमिक डेटा आवश्यक	प्राथमिक डेटा आवश्यक	अगली बुवाई पर दबाव
90 दिन से अधिक	प्राथमिक डेटा आवश्यक	प्राथमिक डेटा आवश्यक	संतुष्टि और भरोसे में कमी संभव

दावा नहीं मिला	प्राथमिक डेटा आवश्यक	प्राथमिक डेटा आवश्यक	असंतोष/शिकायत की संभावना

स्रोत: लेखक द्वारा प्रस्तावित; निष्कर्ष हेतु प्राथमिक सर्वेक्षण आवश्यक।

चित्र 1: वैचारिक मॉडल - फसल जोखिम से आर्थिक स्थिरता तक

फसल जोखिम	**फसल क्षति**	**बीमा कवरेज व दावा सूचना**	**दावा-निपटान**	**आय स्थिरता व पुनर्निवेश**

चित्र का अर्थ यह है कि बीमा की प्रभावशीलता फसल क्षति और आर्थिक स्थिरता के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाती है। यदि कवरेज सही है, क्षति आकलन पारदर्शी है और दावा-निपटान समय पर है, तो किसान ऋण, उपभोग और पुनर्निवेश में अपेक्षाकृत स्थिर रह सकता है।

15. मुख्य निष्कर्ष

- कृषि बीमा खाद्य फसल किसानों के लिए जोखिम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पूरक साधन है, परंतु यह जोखिम को समाप्त नहीं करता।
- बीमा की उपयोगिता का वास्तविक परीक्षण दावा-निपटान की समयबद्धता, पारदर्शिता और भुगतान पर्याप्तता से होता है।
- कम प्रीमियम योजना को सुलभ बनाता है, लेकिन किसान संतुष्टि बीमित राशि, नुकसान आकलन और दावा अनुभव पर अधिक निर्भर करती है।
- जागरूकता, भरोसा, दस्तावेजी स्पष्टता और स्थानीय सहायता बीमा अपनाने के निर्णायक कारक हैं।
- छोटे, सीमांत, गैर-ऋणी, बटाईदार और डिजिटल रूप से कम सक्षम किसान बीमा व्यवस्था से बाहर छूट सकते हैं।
- Digi-Claim, भूमि अभिलेख एकीकरण और शिकायत निवारण जैसे सुधार उपयोगी हैं, परंतु इनके प्रभाव के लिए ग्राम-स्तर पर प्रशिक्षण और सहायता आवश्यक है।
- बीमा का आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव तभी गहरा होगा जब भुगतान अगले फसल चक्र से पहले मिले और किसान उसे पुनर्निवेश में लगा सके।

16. नीतिगत सुझाव

16.1 दावा-निपटान में पारदर्शिता और समयबद्धता

दावा-निपटान किसान-केन्द्रित बनाना जरूरी है। हर बीमित किसान को पॉलिसी स्थिति, दावा गणना, भुगतान स्थिति और अस्वीकृति का स्पष्ट संदेश SMS/व्हाट्सऐप/ग्राम पंचायत नोटिस/स्थानीय कृषि सहायक के जरिए मिलना जरूरी है। दावा भुगतान के लिए आधिकारिक निर्धारित समय-सीमा के लिए बीमा कम्पनी, राज्य सरकार और बैंक की जवाबदेही अलग-दर्ज होना जरूरी है।

फसल कटाई प्रयोगों एवं उपज डेटा समय-समय पर पोर्टल पर अपलोड करने के लिए जिला स्तर पर निगरानी मैनजमेन्ट सशक्त किया जाए। जहां उपज डेटा में विलम्ब हो वहां किसान को प्रगति स्थिति बताई जाए, ताकि अफवाह एवं अविश्वास कम हो।

16.2 डिजिटल फसल क्षति आकलन

हमेंजरूरतरिमोटसेंसरिंग, ड्रोन, मोबाइलफोटो-जीओटैगिंग, डिजिटलफसलकटाई प्रयोग और मौसम-स्टेशन का अधिक डेटा क्षति आकलन को तेज और अधिक पारदर्शी बनाने में मदद कर सकता है, बशर्ते इन तकनीकों को मानव सत्यापन से पूरी तरह अलग नहीं किया जाना चाहिए। किसान के अनुभव, ग्राम-स्तर का सत्यापन और वैज्ञानिकों द्वारा डेटा का समन्वय ज्यादा न्यायपूर्ण मॉडल दे सकता है

डिजिटल भूमि अभिलेख एकीकरण से फर्जी पॉलिसी और दोहराव की घटनाएं कम होंगी। लेकिन असली cultivator को शामिल के लिए पट्टेदार, बटाईदार और महिला किसानों के लिए वैकल्पिक सत्यापन प्रणाली विकसित करनी होगी।

SHIKSHA SAMVAD
PASSION TOWARDS EXCELLENCE

16.3 ग्राम स्तर पर बीमा जागरूकता

बीमा जागरूकता अभियान को विज्ञापन जैसे नही चाहिए। ग्राम स्तर पर 'मेरी पॉलिसी, मेरा दावा' जैसे कार्यशालाएँ आयोजित की जाए जिसमें किसान को पॉलिसी पढ़ना जांचा, दावा सूचना तथा पोर्टल स्थिति देखना एवं शिकायत दर्ज करना सिखाया जाये। अपने PMFBY जागरूकता अध्ययन के अनुभव बताते हैं कि जागरूकता अभियान से बढ़ना संभव है (MANAGE,2023).

किसान के लिए अपने क्षेत्र की फसल, जोखिम और अपनी भाषा में सूचना का प्रबंध हो। किसान को स्पष्ट बताया जाए कि किस घटना में उसे क्लेम मिलेगा और किस में नहीं, ताकि अवास्तविक अपेक्षाएँ कम हों और भरोसा अधिक टिकाऊ हो।

16.4 छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष सहायता

प्रीमियम भुगतान, आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने और दावा सूचना में सहायता छोटे एवं सीमांत किसानों को दी जानी चाहिए। किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समिति एवं पंचायत-स्तरीय कृषि मित्र बीमा सहायता केंद्र के रूप में कार्य कर सकते हैं।

गैर-ऋणी किसानों का नामांकन बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक पंजीकरण को सरल, नकद-रहित और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध बनाया जाए। बैंकों और CSC पर निर्भरता कम करने के लिए मोबाइल सहायता शिविर और ऑफलाइन पंजीकरण सत्यापन भी उपयोगी होंगे।

16.5 बैंक, बीमा कंपनी और कृषि विभाग के बीच समन्वय

कृषि बीमा के कार्यान्वयन में बैंक, बीमा कम्पनी, राज्य कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत तथा पोर्टल कम्पनी सम्मिलित होते हैं। इन सभी का डाटा त्रुटि ही अधिकतर विवाद का कारण बन सकता है। इसका दोष किसी एक पर लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि सभी का डाटा एक दूसरे से जुड़ा होता है। वायुजनन में विकास को लेकर भारत के सभी राज्यों में प्रदेश द्वारा हो रहे असम्पादकीय का प्रभाव पड़ता है। फसल बीमा सह-ऑर्डिनेटिओं ज़िले के स्तर पर एक साझा समिति की स्थापना की जानी चाहिए जो कि निबंधन, प्रीमियम, उपज डाटा, दावे तथा शिकायतें का दोष अध्यक्ष करे।

किसान को बैंक या तहसीलदार या कोई संस्था या अधिकारी से ठोस मार्गदर्शन मिलता है कि समस्या किसकी है। यदि सही बैंक विवरण है तो बैंक का ही जिम्मेदार होना चाहिए। यदि भूमि अभिलेख में हल्की-फुल्की त्रुटि है तो राजस्व विभाग उसे सुधार करे। यदि दावा गणना में समस्या है तो बीमा कंपनी का उत्तर होना चाहिए। यह स्पष्ट होने से किसान की असहायता घटेगी।

17. निष्कर्ष

कृषि बीमा भारतीय खाद्य फसल किसानों के लिए जोखिम प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, लेकिन इसे सभी कृषि संकटों का पूर्ण समाधान नहीं माना जा सकता। वास्तव में, इसकी सबसे बड़ी ताकत फसल क्षति के बाद किसान के लिए समय पर आर्थिक संबल देने में है, ताकि वह अपनी कुछ ऋण-चुकौती, घरेलू उपभोग व अगली फसल का निवेश जारी रख सके। परंतु, यदि बीमा भुगतान विलंबित या अपर्याप्त है, तो योजना का आर्थिक प्रभाव कमजोर हो जाता है और किसान विश्वास खो सकता है।

अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रभावी कृषि बीमा सही कवरेज, पारदर्शी नुकसान आकलन, समय पर क्षतिपूर्ति और किसान केंद्रित संचार पर आधारित है। पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस ने नुकसानी के जोखिम का विशाल साझेदारी ढांचा दिया है। जैसे जैसे कृषि बीमा स्थानीय स्तर पर लागू किया जा रहा है, ग्राम स्तर की जागरूकता, गैर-कर्जदार किसानों की भागीदारी, वास्तविक किसानों की पहचान जैसे चुनौतियों पर नीतिगत ध्यान आवश्यक है।.

कृषि बीमा को कृषि विस्तार, जलवायु सूचना, सस्ते ऋण, बाजार समर्थन, फसल विविधीकरण एवं डिजिटल भूमि अभिलेख सुधार से जोड़ने की आवश्यकता है। ऐसा होने पर कृषि बीमा केवल पॉलिसी नहीं, बल्कि किसानों के लिए आर्थिक स्थिरता तथा जोखिम-सहिष्णु कृषि निर्णय का आधार बनेगा.

18. सीमाएँ

- यह शोधात्मक कॉन्टेंस्ट पर आधारित है जो द्वितीयक स्रोतों और प्रस्तावित पद्धति पर आधारित है; वास्तविक प्राथमिक निष्कर्ष के लिए एक किसान सर्वेक्षण आवश्यक होगा।
- तालिकाओं में जहाँ लिखा होगा 'प्रस्तावित' अर्थात् वहाँ कोई वास्तविक निष्कर्ष नहीं निकाला गया है।
- उत्तर प्रदेश राज्यों के सभी जिलों और सभी खाद्य फसलों पर निष्कर्ष समान रूप से लागू नहीं किए जा सकते।
- बीमा का दावा डेटा, बैंकिंग डेटा और किसान की इनकम डेटा की पहुंच सीमित होने पर डाटा का विश्लेषण अधूरा रह सकता है।.
- बीमा के आर्थिक प्रभाव को अलग से मापने के लिए अन्य कारकों को नियंत्रित करना आवश्यक होगा। जैसे कि MSP, ऋण, सिंचाई ,बाजार सुविधा आदि.

19. भविष्य में शोध की संभावनाएँ

- यूपी में कृषि-जलवायु आधार पर जिला स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
- बीमित और गैर-बीमित किसानों का पैनल डेटा बनाकर आय स्थिरता और निवेश व्यवहार का दीर्घकालिक विश्लेषण किया जा सकता है।
- दावा-निपटान समय और किसान संतुष्टि के बीच संबंध को प्रतिगमन और संरचनात्मक समीकरण मॉडल से परखा जा सकता है।
- महिलाओं, बटाईदारों और गैर-ऋणी किसानों की बीमा पहुंच पर एक अलग अध्ययन किया जा सकता है।
- डिजिटल क्षति आकलन, ड्रोन/रिमोट सेंसिंग और भूमि-अभिलेख एकीकरण के वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है।.
- Policy possibilities of linking agriculture insurance to climate smart agriculture, crop diversification and farmers producer organizations can be studied .

20. संदर्भ सूची

Barnett, B. J., Barrett, C. B., & Skees, J. R. (2008). Poverty traps and index-based risk transfer products. World Development, 36(10), 1766–1785.

Carter, M. R., de Janvry, A., Sadoulet, E., & Sarris, A. (2017). Index insurance for developing country agriculture: A reassessment. Annual Review of Resource Economics, 9, 421–438. https://doi.org/10.1146/annurev-resource-100516-053352

Clarke, D. J. (2016). A theory of rational demand for index insurance. American Economic Journal: Microeconomics, 8(1), 283–306. https://doi.org/10.1257/mic.20140103

Cole, S., Giné, X., Tobacman, J., Topalova, P., Townsend, R., & Vickery, J. (2013). Barriers to household risk management: Evidence from India. American Economic Journal: Applied Economics, 5(1), 104–135. https://doi.org/10.1257/app.5.1.104

Department of Agriculture & Farmers Welfare. (2025). Annual report 2024–25. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India.

Giné, X., Townsend, R., & Vickery, J. (2008). Patterns of rainfall insurance participation in rural India. The World Bank Economic Review, 22(3), 539–566.

Hazell, P., Pomareda, C., & Valdés, A. (Eds.). (1986). Crop insurance for agricultural development: Issues and experience. Johns Hopkins University Press.

Karlan, D., Osei, R., Osei-Akoto, I., & Udry, C. (2014). Agricultural decisions after relaxing credit and risk constraints. The Quarterly Journal of Economics, 129(2), 597–652.

Kaur, S., Raj, H., Singh, H., & Chattu, V. K. (2021). Crop insurance policies in India: An empirical analysis of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Risks, 9(11), 191.

Mahul, O., & Stutley, C. J. (2010). Government support to agricultural insurance: Challenges and options for developing countries. World Bank.

MANAGE. (2023). Evaluation of Mega Awareness Campaign of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. National Institute of Agricultural Extension Management, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India.

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. (2024). Revised operational guidelines of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Government of India.

Miranda, M. J. (1991). Area-yield crop insurance reconsidered. American Journal of Agricultural Economics, 73(2), 233–242.

NABARD. (2024). NABARD survey on rural financial inclusion: NAFIS 2021–22. National Bank for Agriculture and Rural Development.

Skees, J. R., Hazell, P. B. R., & Miranda, M. (1999). New approaches to crop yield insurance in developing countries. International Food Policy Research Institute.

World Bank. (2012). Weather based crop insurance in India. World Bank.

परिशिष्ट: डेटा-सत्यनिष्ठा टिप्पणी

इस शोध-पत्र में किसी भी काल्पनिक प्राथमिक सर्वेक्षण परिणाम को वास्तविक निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जहाँ प्राथमिक डेटा आवश्यक है, वहाँ स्पष्ट रूप से "प्राथमिक डेटा आवश्यक" या "प्रस्तावित तालिका प्रारूप" लिखा गया है। सरकारी और शोध संबंधी तथ्य प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित हैं।

Cite this Article:

कुमार ज्योति प्रकाश[1], अविनाश शर्मा[2], "किसानों के खाद्य फसल जोखिम प्रबंधन में कृषि बीमा की भूमिका: फसल क्षति, दावा-निपटान और आर्थिक स्थिरता का विश्लेषणात्मक अध्ययन" Shiksha Samvad International Open Access Peer-Reviewed & Refereed Journal of Multidisciplinary Research, ISSN: 2584-0983 (Online), Volume 03, Issue 04, Pp.231-246, June-2026. Journal URL: https://shikshasamvad.com/

This is an Open Access Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

कुमार ज्योति प्रकाश

For publication of research paper title

किसानों के खाद्य फसल जोखिम प्रबंधन में कृषि बीमा की भूमिका: फसल क्षति, दावा-निपटान और आर्थिक स्थिरता का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Published in 'Shiksha Samvad' Peer-Reviewed and Refereed Research Journal and E-ISSN: 2584-0983(Online), Volume-03, Issue-04, Month June 2026.

Dr. Neeraj Yadav
Editor-In-Chief

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Executive-chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://shikshasamvad.com/

DOI:- https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v3i4.25

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

अविनाश शर्मा

For publication of research paper title

किसानों के खाद्य फसल जोखिम प्रबंधन में कृषि बीमा की भूमिका: फसल क्षति, दावा-निपटान और आर्थिक स्थिरता का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Published in 'Shiksha Samvad' Peer-Reviewed and Refereed Research Journal and E-ISSN: 2584-0983(Online), Volume-03, Issue-04, Month June 2026.

Dr. Neeraj Yadav
Editor-In-Chief

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Executive-chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://shikshasamvad.com/

DOI:- https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v3i4.25